# न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः- 09 /अ-20(4)/2017-18/ 10331 बैतूल दिनांक 23/8/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, क्षत्रिय लोणारी कुन्बी समाज संगठन मुलताई द्वारा नगर पालिका मुलताई में ज्ञापन प्रस्तुत करके, मुलताई नगर के फव्वारा चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने की मॉग किये जाने पर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई के पत्र क्रमांकः- लो0 नि0 शा0/न0 पा0/347 दिनांक 2-2-2018 द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी( रा.) मुलताई से मूर्ति लगाये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, तथा पत्र समसंख्य पत्र क्रमांकः- 238 दिनांक 20-2-2018 द्वारा, कलेक्टर बैतूल को प्रतिवेदित किया गया है कि, मुलताई शहर मे शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना हेतु चयनित स्थल बैतूल रोड (मंगलवार बाजार स्थल) पर प्रतिमा स्थापित की जाती है तो निकाय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

2- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, मुलताई नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई से प्रतिवेदन आहूत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी( रा.) मुलताई द्वारा विषयांकित के संबंध में तहसीलदार मुलताई से जाँच कराई जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार विषयांकित के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः-

(1)- तहसीलदार मुलताई द्वारा उक्त संबंध में विधिवत् प्रकरण संस्थित किया जाकर राजस्व निरीक्षक मुलताई , सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल से अभिमत प्राप्त किया गया।

(2) - राजस्व निरीक्षक मुलताई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, नजूल अभिलेख के अनुसार मुलताई नजूल शीट नंबर 01 प्लाट नंबर 04 क्षेत्रफल 3954.50 वर्गमीटर भूमि मुरम खदान शासकीय नजूल दर्ज है।

(3)- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई के पत्र क्रमांकः- लो0नि0शा0/न0पा0/2018/1272 दिनांक 23-5-2018 द्वारा थाना प्रभारी मुलताई, अनुविभागीय अधिकारी लो0 नि0 वि0 (भ./स.) उपसंभाग मुलताई एवं सहायक संचालक नगर, ग्राम निवेश बैतूल तथा म.प्र.म.क्षे. वि. वि. कं. लि. मुलताई के प्रतिवेदन/अनापत्ति,अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई को उपलब्ध कराए गए है।

(4)- प्रबंधक ( सं./सं.) म.प्र.म.क्षे. वि. वि. कं. लि. मुलताई नगर जोन के पत्र क्रमांक- 230 दिनांक 21-5-2018 द्वारा अम्बेडकर वार्ड मंगलवार बाजार में प्रस्तावित स्थल पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

(5)- थाना प्रभारी मुलताई के पत्र क्रमांकः- 720/2018, दिनांक 18-5-2018 द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त प्रस्तावित स्थान के आसपास में पर्याप्त भूमि है एवं बाजार के स्थान से हटकर है, साथ ही आस पास के व्यापारियो के साथ में चर्चा पर किसी को आपत्ति नहीं होना पाया गया है, उक्त प्रतिमा की स्थापना में कोई आपत्ति नहीं है।

(6)- अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मुलताई के पत्र क्रमांकः- 35/कार्य/2-21/2018-19 दिनांक 23-5-2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, प्रतिमा स्थापना स्थल डमंडल मोगिया नाला ( पुराना एन एच) मार्ग के बाई ओर लगभग 20 मीटर की दूरी पर होने से विभाग की कोई आपत्ति नहीं है।

अपर कलेक्टर * बैतूल (म.प्र.) *

(7)- सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल के पत्र क्रमांकः- 806/अभि./नग्रानि/2018, दिनांक 23-6-2018 द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, प्रश्नाधीन मुलताई नजूल शी.ट नंबर 01 प्लाट नंबर 04 का मुलताई विकास योजना 2021 में भू- उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रयोजनके अंतर्गत निर्दिष्ट है। प्रश्नाधीन भूमि से लगे मार्ग को मार्ग विस्तार हेतु आरक्षित कर एवं प्रतिमा स्थापित करने के पूर्व संबंधित विभा से भी अभिमत प्राप्त किया जाकर, कार्यवाही की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

(8)- तहसीलदार मुलताई द्वारा, उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के प्रतिवेदन के आधार पर मुलताई नजूल शीट नंबर 01 प्लाट नंबर 04 क्षेत्रफल 3945.50 वर्गमीटर में से 10X10= 100 वर्गफुट भूमि शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई द्वारा तहसीलदार मुलताई के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात-नजूल/99 दिनांक 27-1-2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक -7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का एवं शासकीय विभागो को भूमि अंतरण के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण का समग्र अवलोकन किया। प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार मुलताई।अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मुलताई नजूल शीट नंबर 01 के प्लाट नंबर 1304 क्षेत्रफल 3945.50 वर्गमीटर में से 10X10= 100 वर्गफुट भूमि जिसे जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आरक्षित की जाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई को आधिपत्य सौपा जाता है:-

(1)- आरक्षित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी।

(3)- शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4)- आरक्षित भूमि के सही उपयोग एवं रख रखाव आदि की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई की होगी।

(5)- शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में उक्त आरक्षण स्वत: निरस्त माना जाएगा।

न्यायालय अपर कलेक्टर * बैतूल (म.प्र.) *

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 04 /अ-19(4)/2017-18/ 10331 बैतूल दिनांक 23/8/2018

प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/नजूल अधिकारी मुलताई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

2- परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल की ओर सूचनार्थ।

3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई की ओर उनके पत्र क्रमांक:-न.पा./लो.नि.शा./2016/1126 दिनांक 28-9-2016 एवं पत्र क्रमांक:-लो.नि.शा./न.पा./2018/888, दिनांक 7-7-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)